जाखन व सिनोला में अवैध निर्माण सील

जागरण संवाददाता, देहरादून: मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार जाखन और सिनोला में दो बड़ी कार्रवाई करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि नियमों से समझौता स्वीकार नहीं होगा। दोनों स्थानों पर भवन उपविधियों के विपरीत किए जा रहे निर्माणों को चिह्नित कर सील कर दिया गया। प्राधिकरण ने चेतावनी जारी की कि बिना स्वीकृत मानचित्र या स्वीकृत सीमा से अधिक निर्माण करने वालों पर आगे भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जाखन, राजपुर रोड क्षेत्र में पहले मामले में बहुमंजिला निर्माण करने वाले कपिल कुमार थापा के भवन पर कार्रवाई की गई। निरीक्षण में पाया गया कि निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप नहीं था और निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त कार्य जारी था। पूर्व में नोटिस दिए जाने के बावजूद निर्माण रोका नहीं गया, जिसके बाद प्रवर्तन टीम ने स्थल पर पहुंचकर भवन को सील कर दिया। दूसरा प्रकरण सिनोला से संबंधित है, जहां सप्लाई रोड पर स्थित एक भवन के तृतीय तल पर बिना स्वीकृति अतिरिक्त निर्माण पकड़ा गया। मौके पर निरीक्षण में पाया गया कि मानचित्र की स्वीकृति नहीं ली गई थी। पूर्व चेतावनी और नोटिस की अनदेखी किए जाने पर प्राधिकरण ने विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए परिसर को सील कर दिया। दोनों कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर की गईं।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व मानचित्र की स्वीकृति अवश्य लें और स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही निर्माण करें। अन्यथा होने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

घर के नक्शे पर बना दिए फ्लैट, एमडीडीए ने किए सील

देहरादून। घर का नक्शा पास कराने के बाद कई मंजिला फ्लैट बनाने वालों पर एमडीडीए ने कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने शनिवार को जाखन और सिनोला में दो बहुमंजिला भवनों को सील कर दिया है। इन सभी को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे।

बावजूद इसके दोनों जगहों पर मनमाना रवैया अपनाते हुए निर्माण जारी रखा गया। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण की जीरो टोलरेंस की नीति है। इसके मद्देनजर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी क्रम में जाखन और सिनोला में दो अवैध निर्माणों पर प्रवर्तन दल ने कार्रवाई की। पहला प्रकरण जाखन में कपिल कुमार थापा के बहुमंजिला भवन का है। प्राधिकरण को मिली शिकायतों और निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर टीम शनिवार को मौके पर पहुंची थी।

यहां पर नियमों का उल्लंघन करते हुए अतिरिक्त निर्माण कराया जा रहा था। इस भवन को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है। इसी तरह मामला सिनोला में सप्लाई रोड के भवन का है। यहां पहले से बनाए गए तल पर बिना स्वीकृति अतिरिक्त निर्माण कराया जा रहा था। भवन स्वामी को नोटिस जारी किया गया था। बावजूद इसके भवन स्वामी ने निर्माण नहीं रोका। इस भवन को भी सील कर दिया गया। मा.सि.रि.